भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3630
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महिला उद्यमिता का सामाजिक-आर्थिक समावेशन

3630. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिला उद्यमियों के सामाजिक-आर्थिक समावेशन के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) हरित परिवहन के माध्यम से हरित गतिशीलता तक पहुंच प्रदान करके ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए टिकाऊ परिवहन (स्त्री) का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ चन्द्रशेखर पेम्मासानी)

(क): भारत सरकार ने महिला उद्यमियों के सामाजिक-आर्थिक समावेशन के लिए निजी कंपनियों के साथ मिलकर कई पहल की हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) को कार्यान्वित कर रहा है, जो वित्त, बुनियादी ढांचे और बाजार के अवसरों तक पहुंच जैसे कारकों को ध्यान मे रखते हुए ग्रामीण महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दे रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादों को शामिल करने और विपणन के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मो क्रमश: फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, अमेजन, फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो) और जियोमार्ट के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन कंपनियों द्वारा स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की जा रही है:

(i) स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ना, खाता प्रबंधन और व्यवसाय वृद्धि पर प्रशिक्षण देना।

(ii) उत्पादों का कैटलॉग बनाना।

(iii) फोटोग्राफी और मीडिया सामग्री निर्माण प्रशिक्षण देना।

(iv) एसएचजी उत्पादों के प्रदर्शन के लिए विशिष्ट स्टोर फ्रंट (समर्पित पेज) बनाना।

मंत्रालय और ईजीट्रिप प्लानर्स लिमिटेड (ईएमटी) के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के चयनित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को यात्रा बुकिंग उद्यम स्थापित करने और प्रबंधित करने में मदद देने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना चलाई गई है। ईएमटी ने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की है:

(i) हवाई, रेल और बस यात्रा के लिए ईजीट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर एसएचजी सदस्यों का कौशल निर्माण करना ।

(ii) लैपटॉप और अन्य बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान करके टिकट बुकिंग उद्यम की स्थापना करना।

(ख) विद्युत मंत्रालय के तहत एक संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) और इसकी सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) ने ग्रामीण महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल (स्त्री) के माध्यम से सतत परिवहन कार्यक्रम शुरू करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। यह समझौता ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उनकी परिवहन जरूरतों को पूरा करने और धनार्जन संबंधी गतिविधियों के लिए उनकी पहुँच बढ़ाने के लिए रियायती दरों पर इलेक्ट्रिक साइकिलों की आपूर्ति के माध्यम से छोटे और पर्यावरण-अनुकूल यातायात के साधन (ग्रीन माइक्रो-मोबिलिटी) को बढ़ावा देता है। यह प्रायोगिक परियोजना बिहार, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में शुरू की गई है।

****